भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-53

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार,30 आषाढ़ 1947(शक)

कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार दर

53. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास योजनाओं (एसडीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की राज्यवार रोजगार दर कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने युवाओं को कृत्रिम बुध्दिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उद्योगों और निजी कंपनियों के सहयोग से चलाए जा रहे प्रशिक्षुता और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत नियोजित युवाओं को उचित पारिश्रमिक वाला रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है।

एमएसडीई की योजनाओं में, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण

घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के अंतर्गत राज्य-वार रिपोर्ट किए गए नियोजित अभ्यर्थियों और प्लेसमेंट दर का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अपने विविध करियर पथ चुनने हेतु सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी टूल्स भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गई है।

(ख): डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग सहित नए युग के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, एमएसडीई ने निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, "भविष्य के कौशल" श्रेणी के अंतर्गत समर्पित नौकरी भूमिकाएँ शुरू की गई हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग सहित नई और उभरती तकनीकों में अवसरों के लिए तैयार करना है।

(ii) एनएपीएस के तहत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और डिजिटल मार्केटिंग सहित उभरती तकनीकों के लिए नौकरी की भूमिकाओं में प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

(iii) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 31 नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(iv) डिजिटल कौशल प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख आईटी तकनीक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बिग डेटा एनालिटिक्स (बीडीए), ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि सहित आधुनिक तकनीकों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(v) एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के माध्यम से एआई-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक पाठ्यक्रम 'आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एआईपीए)' शुरू किया है। इसके अलावा, उद्योग और शैक्षणिक विशेषज्ञों के सहयोग से, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सभी सीटीएस प्रशिक्षुओं के लिए 7.5 घंटे का एक माइक्रो-क्रेडेंशियल कोर्स "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का परिचय" विकसित किया गया है।

(vi) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो कौशल संवर्धन के लिए एक व्यापक और सुलभ प्लेटफॉर्म है, जो देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। सिद्ध एआई और एमएल पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें 'फंडामेंटल्स ऑफ एज़्योर एआई स्पीच' और 'मशीन लर्निंग' जैसे मूलभूत कार्यक्रमों से लेकर 'गूगल क्लाउड जेनरेटिव एआई' और 'एआई स्ट्रेटेजी टू क्रिएट बिज़नेस वैल्यू इन हेल्थकेयर' जैसी विशेष पेशकशें शामिल हैं जो विभिन्न स्तरों की विशेषज्ञता और अनुप्रयोग को पूरा करती हैं जिससे प्रतिभागियों को एआई और एमएल तकनीक में सबसे आगे रहने में मदद मिलती है।

(vii) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) एमएसडीई की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। अगस्त 2016 में शुरू की गई यह योजना वर्तमान में अपने दूसरे चरण के तहत जारी है। एनएपीएस-2 के तहत, भारत सरकार प्रति प्रशिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपये तक की वजीफा सहायता प्रदान करती है जो न्यूनतम निर्धारित वजीफे के 25% तक को कवर करता है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से शिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे वितरित किया जाता है। 2018-19 से 30 जून 2025 तक देश में रोजगार में लगे शिक्षुओं का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य नए इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों, सामान्य विषयों में स्नातक और इंजीनियरिंग के सैंडविच कार्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को किसी भी उद्योग/प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्नातक/डिग्री शिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम वजीफा 9,000 रुपये प्रति माह और तकनीशियन/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के लिए 8,000 रुपये प्रति माह है। भारत सरकार शिक्षुओं के लिए निर्धारित न्यूनतम वजीफे का 50% प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, इंटर्नशिप की पूरी 12 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षुओं को 5,000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाता है।

अनुलग्नक-I

कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार दर के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) और (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत नियोजित उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण (1.0, 2.0 और 3.0)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**नियोजित व्यक्तियों की सूचित संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	124
आंध्र प्रदेश	1,11,640
अरुणाचल प्रदेश	13,631
असम	66,354
बिहार	1,26,782
चंडीगढ़	6,355
छत्तीसगढ	28,112
दिल्ली	78,271
गोवा	1,105
गुजरात	69,289
हरियाणा	1,58,951
हिमाचल प्रदेश	26,726
जम्मू और कश्मीर	52,629
झारखंड	28,955
कर्नाटक	74,225
केरल	26,385
लद्दाख	944
मध्य प्रदेश	2,20,115
महाराष्ट्र	80,950
मणिपुर	16,094

मेघालय	13,608
मिजोरम	9,566
नागालैंड	6,181
ओडिशा	71,056
पुदुचेरी	10,504
पंजाब	1,28,905
राजस्थान	1,84,004
सिक्किम	3,798
तमिल नाडु	1,71,794
तेलंगाना	1,12,967
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,817
त्रिपुरा	18,682
उत्तर प्रदेश	3,38,634
उत्तराखंड	52,584
पश्चिम बंगाल	1,15,537
कुल	**24,28,274**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2018-19 से दिनांक 30 जून 2025 तक एनएपीएस के अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षुओं का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**नियोजित प्रशिक्षु**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	344
आंध्र प्रदेश	90,886
अरुणाचल प्रदेश	234
असम	44,893
बिहार	26,618
चंडीगढ़	5,368
छत्तीसगढ	26,507
दिल्ली	1,01,872
गोवा	38,323
गुजरात	4,57,407
हरियाणा	3,08,563
हिमाचल प्रदेश	38,439
जम्मू और कश्मीर	4,814
झारखंड	48,829
कर्नाटक	3,31,007
केरल	62,768
लद्दाख	179
लक्षद्वीप	46
मध्य प्रदेश	1,13 ,426
महाराष्ट्र	10,58,667
मणिपुर	359
मेघालय	1,032

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**नियोजित प्रशिक्षु**
मिजोरम	256
नागालैंड	109
ओडिशा	51,228
पुडुचेरी	11,679
पंजाब	69,452
राजस्थान	83,551
सिक्किम	1,711
तमिल नाडु	3,99,748
तेलंगाना	1,77,770
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	10,607
त्रिपुरा	2,247
उत्तर प्रदेश	3,03,818
उत्तराखंड	84,946
पश्चिम बंगाल	1,21,323
कुल	**40,79,026**

*****